अध्याय - 10
सारांश और निष्कर्ष

10.1 प्रस्तावना -

सुनियोजित नगर मनुष्य की सभ्यता के उत्कर्ष का प्रतीक हैं। सभ्यता का उदय मूलतः गांवों से हुआ है। किन्तु उसका विकसित रूप नगर जीवन में ही देखा जाता है। सुनियोजित क्रम तथा दैनिक जीवन की सुविधा की दृष्टि से नगर में जो व्यवस्था दी जाती है उसकी अनुकृति गांवों में की जाती है और इसे ग्रामसुधार की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की त्रिवेणी आरण्य, ग्राम्य तथा नगर जीवन धाराओं से सम्पन्न है। कृषि प्रधान भारत देश में ग्राम जीवन का महत्व तो सदा ही विशिष्ट रहा है, तथापि यह निर्विवाद है कि प्रगतिशील लौकिक जीवन के मुख्य समाश्रय प्रत्येक युग में नगर ही रहे हैं। कला एवं विज्ञान के अधिक विकास के लिये आर्थिक समृद्धि तथा राजकीय ऐश्वर्य का जितना समुच्चय अपेक्षित है, उतना वाणिज्य एवं व्यापार पर आश्रित नगर जीवन में ही सम्भव है। इतना ही नहीं, भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति तथा संस्कृति के प्रायः समस्त मूल्यवान उपादानों का केन्द्र नगरीय जीवन ही होता है।

10.2 सम्पूर्ण उपलब्धियों की समीक्षा -

श्रम विभाजन पर अवलम्बित नगरीय जीवन का विकास मूलतः उद्योग तथा व्यापार की दृष्टि का द्योतक है। ग्राम समाज की अपेक्षा नागरिक समाज में विविधता, जटिलता तथा गतिशीलता अधिक होती है। नगरीकरण एक सतत प्रक्रिया है। देश काल की परिस्थितियों के अनुसार यह चक्र की तरह प्रतिपल गतिमान रहती है। ग्रामीण समाज भी नगरीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं रह पाता है। कृषिपरक अर्थव्यवस्था अपने अंतिम चरण में औद्योगिक क्रान्ति की ओर स्वतः उन्मुख हो जाती है।[1]

जनसंख्या का स्थानान्तरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण है। संसार के प्रायः सभी नगरों में आवास की कमी की समस्या सुरसा के मुंह की भांति नित्य बढ़ती जा रही है। आवास गृहों की बढ़ती मांग के फलस्वरूप नगरों का प्रसार निश्चित ही ग्रामोन्मुख ही होता है। नगरों में शुद्ध पेयजल की भी भारी कमी रहती है साथ ही जलोत्सरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषण बढ़ता रहता है। नगरों में वाहनों, रसोईघरों तथा कल–कारखानों के धुंएं एवं गर्द–गुबार से वातावरण दूषित बना रहता है जिससे बीमारियों में वृद्धि होती है। अल्प आय वाले लोगों को रोजगार के अवसर और भी अल्प हो जाते हैं, फलतः ये स्वास्थ्य सुविधाओं, रोगों से बचाव के टीकों, संतुलित आहार, शुद्ध पेयजल एवं शुद्ध वायु से वंचित रह जाते हैं।

हमारे देश में औद्योगीकरण प्रारम्भिक अवस्था में ही है। अतः हमें अवसर है कि हम औद्योगिक देशों में उत्पन्न कठिनाइयों तथा उनके निवारणार्थ किये गये उपायों को दृष्टिगत रखते हुये नगरीकरण की ऐसी नीति का सृजन करना चाहिये जिससे भविष्य में हमारे नगरों के निवासी इन कठिनाइयों से भयाक्रान्त न होकर सुविधापूर्ण जीवन यापन कर सकें। नगरीकरण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का दुखद परिणाम है। सिंह, आर0एल0[2] के अनुसार, न नगर न महानगर न ही नगरीकरण मानव के लिये अभिशाप है बल्कि संसार की अपूर्व तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या भयानक अभिशाप है जिसका कि नगरीकरण एक कुपरिणाम मात्र है। नगरों में विभिन्न कार्य व सेवाओं के विशेषज्ञों की उपलब्धि एवं आपसी सहयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। वस्तुओं में सेवाओं की भिन्नता के साथ ही साथ बड़े–बड़े उद्योग धन्धों, संस्थानों, परिवहन, वित्तीय एवं तकनीकी संस्थाओं और अनेक मानवीय सुविधाओं का अधिकतम विकास सम्भव है। नगर प्रदेश विशेष के लिये सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक केन्द्र बन जाते हैं फिर भी नगरीय विकास से कुछ गम्भीर परिणाम सामने आये हैं जिसके कारण

नगर जीवन को सुखमय बनाने के सभी कारगर प्रयास नगर नियोजकों को करना होगा।

भोपाल जैसी दुर्घटनाएं बार–बार नहीं होंगी, किन्तु दिन–प्रतिदिन वायु कुछ और अशुद्ध होगी, नदी कुछ और गन्दी, जंगल कुछ और वीरान, जिन्दगी कुछ और जहरीली होगी। क्या इस धीमे हलाहल के प्रति हम इसलिये उदासीन रहेंगे कि वह भोपाल की मिक (MIC) गैसो की तरह तीन दिन के अन्दर जान नहीं लेता? शासन तो इतना संज्ञा शून्य है कि धीरे–धीरे भ्रष्टाचार की आड़ में अवांछनीय उद्योग स्थापित होते जा रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, किन्तु इसका जबाबदेह कोई नहीं है। सभी प्रकार के कारखानों के प्रबन्धकों को यह जानकारी देनी चाहिए कि जो रासायनिक कचरा हम नदी में या वायुमण्डल में बहा रहे हैं उसके कारण कौन से स्थल पर नदी कितना प्रदूषित होगी वायुमण्डल कितना विषाक्त हो गया है। प्रवाह माध्यमों द्वारा ये सूचनायें आम जनता तक पहुंचायी जानी चाहिए।

आज अधिकांश नगर स्वयं समस्याओं के केन्द्र बन गये हैं जबकि उनके द्वारा परिपोषित क्षेत्र की जनसंख्या वहां अपनी समस्याओं का निदान करने के लिये जाती है कितनी विसंगति है –बसों का इंतजार, छात्रों की असुविधा, चिकित्सालाय हैं दवायें नहीं, विद्युत विभाग का मजाक, गंदगी पी रही है, क्रीडांगनों की खस्ता हालत, जल निकास की उचित व्यवस्था का अभाव आम राहों पर प्रवाहित गन्दा जल, यातायात को बाधित करते हुये पशु–भीड़भाड़ एवं शोर गुल, ये दृश्य हैं आज के नगरों के जो सभ्यता के प्रतिमान है। अस्तु, सुनियोजित तरीके से जटिलताओं को दूर करते हुये नगरों को भावी उदीयमान औद्योगिक केन्द्र का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। इनके औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिये सांस्कृतिक पक्षों (सिद्धियों) के संयोजन की नितान्त आवश्यकता है। नागरिकों को मानसिक व नैतिक रूप से स्वच्छता एवं सुन्दरीकरण हेतु प्रेरित करने की अतीत आवश्यकता है।

औरैया जनपद के नगरों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों का सुसंगत ढंग से विकास अंतः एवं बाह्य भागों, संचार, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षण, प्रशिक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन संसाधनों की आपूर्ति नगर एरिया सम्बन्ध सम्बर्धन आदि की तथात्मक व्यवस्था पर्याप्तता अनिवार्य रूप से वांछित है। नगर के कूड़ा–करकट को उपयोगी ढंग से रचनात्मक कार्यो में लगाना, पार्को तथा क्रीड़ांगनों की व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण, संचार ऊर्जा की समस्याओं का निराकरण आदि को वैज्ञानिक ढंग से हल करके स्वस्थ समाज की पुर्नरचना में सम्बद्ध होना आधुनिक काल का प्रथम वरीयता वाला पुनीत कार्य है।

प्रस्तुत शोध द्वारा औरैया जनपद के उदीयमान नगरों के नागरिकों के लिये समय रहते स्वच्छ आवास, विद्युत, वायु, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं अन्य उच्च आवश्यकताओं को नियोजित करने का प्रयास किया गया है क्योंकि जन कल्याण ही नियोजन का सारभूत उद्देश्य है। जनसंख्या स्थान व संसाधनों के मध्य सुसंगत सामंजस्य स्थापित करना ही नियोजनों का अभीष्ट है।

उजागिर सिंह[3] ने शहरों के विषय में ठीक ही कहा है कि शहर अपने समग्र रूप में एक भौगोलिक तथ्य है, एक आर्थिक संगठन हैं, एक संस्थात्मक प्रक्रिया है, सामाजिक कार्यकलाप का एक नाट्यग्रह हैं और सामूहिक एकता का एक सौन्दर्यात्मक प्रतीक है। एक ओर वह साधारण घरेलू और आर्थिक कार्यकलाप का भौतिक ढांचा है तो दूसरी ओर मानव संस्कृति के अधिक सार्थक कार्यकलापों एवं अधिक भव्यीकृत आवेगों के लिये सचेतन नाटकीय विन्यास है। शहर कला का पोषण करता है और स्वयं कला है, वह नाट्यगृह की सृष्टि करता है और स्वयं नाट्यगृह है।''

संकीर्ण गलियां, बहुमंजिले भवनों की सुषमा, झोपड़ियों का अव्यवस्थित

क्रम, सहमें बच्चों के गुमसुम चेहरे, बंगलों की प्रतिद्वन्दिता, आधुनिकताओं के मुखों की बनावटी मुस्कान, स्वास्थ्य, छल, कपट, धूर्तता से घृणित माहौल में पिसते श्रमिक, मौज करते धनपति, अपरिचित पड़ोसी, होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट, मधुशालायें, रंगशालायें, धुऑ से मण्डित आकाश, शोरगुली माहौल को और तीव्रतर करती दैत्याकार मशीने, बल वृद्धि ज्ञान, नैपुण्य तथा स्वचालितीकरण द्वारा तथा आर्थिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाते नर–नारी, फैशनेबुल परिधानों व कृत्रिमता के आडम्बरी माहौल में भाग दौड़ लगाते लोगों की आपाधापी, तो कहीं अंधकार, सुगंध, कीचड़युक्त बीथिकाओं में कीड़ों की भांति चीथड़े लपेटे अर्द्धनग्न झुग्गी झोपड़ियों वाले, अभागों का संकुल ओर न जाने क्या–क्या, विविध आयाम हैं हमारी आधुनिक नगर सभ्यता के। कठिन मार्ग में चलता हुआ थका हारा हमारा समाज अभी और कितने पडावों पर सुस्तायेगा और क्या मंजिल आसानी से मिल भी पायेगी? हताशा सी दिखाई देती है क्योंकि कोई भी व्यवस्था या नियोजन व्यावहारिक रूप में पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाया है, तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर व्यवस्था देना ही नियोजकों का अभीष्ट है।[4]

शान्ति, समृद्धि से सुसम्पन्न स्वस्थ समाज की रक्षा करते हुये हम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिये काम कर रहे हैं, हम तो दलितों भावी पीढ़ियों के हितार्थ काम कर रहे हैं। यदि सुसंगत निदान होगा तो जनगण की सृजन शक्ति विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों के आधार पर अवश्य ही उन समस्याओं को हल कर देगी, जो आज लोगों को उद्वेलित कर रही हैं। बेशक हमारे बाद की पीढ़ी के सामने नये, अधिक महत्वपूर्ण दायित्व आ जायेंगे। ठीक है यही तो प्रगति, जीवन की दण्डात्मकता तथा सचेतक और सर्जक मानव का बहु आयामी संसार है।

10.3 सारांश एवं सुझाव :-

प्रत्येक व्यवस्थित तथा जीवन्त समाज की गतिशीलता हेतु कुछ

मूलतभूत आवश्यकतायें होती हैं जिनका पूर्ण होना उसकी निरन्तरता के लिये अपरिहार्य है। सामान्य स्तर पर ये आवश्यकतायें एक विशिष्ट प्रकार के समाज के लिये अलग प्रकार की होती हैं, अतः इन्हें प्राथमिक आवश्यकताओं की संज्ञा दी जाती है। प्राथमिक सामाजिक आवश्यकताओं के चार प्रकार होते हैं –जनसंख्या विशेषीकरण विभिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य विभाजन, संगठन–विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सद्भावना एवं निरन्तरता, अनेक पीढ़ियों द्वारा समाज के संगठन हेतु सतत क्रियाशीलता। आने वाले वर्षो में नगर का महत्व बढ़ता ही जायेगा। भविष्य का भारत एक औद्योगिक भारत होगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन तथा तांत्रिक बिन्दु शहरों में ही स्थित होगा, आगे वाले वर्षो में तीव्र गति से नगरीकरण की आशा है।

नगर निवासियों की आवश्यकतायें पहले से अधिक बढ़ गई हैं पर देश की जनसंख्या का वह भाग जो शिक्षित है तथा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं, में आवश्यकताओं की वृद्धि तुलनात्मक दृष्टि से कहीं अधिक है। नगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या, बदलती हुई नूतन मान्यतायें उनकी बढ़ती हुई आवश्यकतायें एवं आकांक्षाएं नगरीय प्रशासन सम्मुख कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। इनके समुचित समाधान पर ही हमारा भावी नगर भविष्य निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लोग नगरों से अधिक सुविधायें प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। शहरों में देहातों की अपेक्षा न केवल भुखमरी की कम सम्भावना है अपितु वहां बेहतर चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध हैं। यही कारण है कि तृतीय विश्व युद्ध के देशों में ग्रामीण जनसंख्या का द्रुत गति से पलायन हो रहा है।

इस समय विश्व के अनेक देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में बसाव हेतु अधिक से अधिक पूंजी निवेश करके प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगाकर आव्रजन पर अंकुश लगाया गया है। ग्राम्य क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन का एक प्रमुख कारण यह भी है कि

व्यक्ति को अधिक आमदनी की आवश्यकता होती है जो शहरों में ही सुलभ है।[5] इन्हीं कारणों से अब शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है तथा इतने अधिक लोगों के लिये आवास, रोजगार तथा देखभाल उपलब्ध कराने की संभावना निरूत्साहित करने वाला ही है। एक शहर का नागरिक शहर से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आकांक्षा रखता है। ये आवश्यकतायें अधोलिखित हैं –

1. प्राथमिक आवश्यकतायें :– भोजन, वस्त्र एवं आवास
2. अन्य आवश्यकतायें :– आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य उच्च आवश्यकतायें।

रोजगार अथवा उद्यम से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बेरोजगार व्यक्ति चाहे वे अकुशल श्रमिक या शिक्षित कामगार हो जिनमें बाल श्रमिक भी सम्मिलित हैं अथवा शिक्षित एवं प्रशिक्षित कुशल श्रमिक हो, विभिन्न कार्य क्षेत्रों, कार्यालयों, उद्योग एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित होने पर ही जीविकोपार्जन प्राप्त कर सकते है। इन आवश्यकताओं को प्रमुखतः निम्नलिखित पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1. सामाजिक सेवा सुविधायें :-

इन सुविधाओं के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सामाजिक हित साधन संभव है। सुरक्षा की व्यवस्था समाज को सुदृढ़ रखने का प्रमुख आधार है। अस्तु नागरिक अग्निशमन केन्द्र, न्यायालय या कानून की व्यवस्था, शिल्प केन्द्र, छात्रावास, अनाथालय, बाल सुधार गृह, चिकित्सालय, आदि से सम्बन्धित कार्यो का मानवहित में सुचारू रूप से विभिन्न प्रकार की सामाजिक रूग्णताओं का निवारण सम्भव है। अस्तु गंदी बस्तियों का सुधार, जल निकास की उत्तम व्यवस्था, विशुद्ध पेयजल की आपूर्ति, रोगों की रोकथाम के उपाय, यातायात सम्बन्धी, मार्ग प्रकाश, गति अवरोधक, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण आदि की व्यवस्था। अतिक्रमण हटाना, सुन्दरीकरण आदि योजनायें नागरिकों को राहत पहुंचाती हैं। प्रदूषण – जल, वायु, तथा ध्वनि बहुत ही भयावह है

इससे मुक्ति पाने हेतु कारगर कदम उठाना सच्ची सामाजिक सेवा है, वही आधुनिक युग की पुकार है।

2. आर्थिक सुविधायें :-

सेवायोजन, उद्यम–व्यवस्था, औद्योगिक संस्थान, समूहों की आयोजना, व्यापार केन्द्र (बाजारों) की व्यवस्था, आपणन–विपणन की जटिलताओं का निवारण, मण्डारण सुविधाओं का विकास, यातायात सुविधायें (ट्रान्सपोर्ट नगर), बैंकिंग तथा वित्त संस्थाओं की उपयुक्त स्थिति, संचार (टेलीफोन आदि) के साधनों का विकास आदि प्रकार्य आर्थिक गतिशीलता को साकार स्वरूप प्रदान करने में सहायक है।

3. आवासीय सुविधायें :-

आवासीय सेवा सुविधायें प्रदान करना आज नगर का प्रमुख कार्य माना जाता है। भवनों की दशा, उनकी पर्याप्तता, विद्युतीकरण, सीवर तथा जलापूर्ति की सुविधाओं के आधार पर ही जनजीवन की सुख–समृद्धि का आंकलन किया जाता है। भवनों की दशा जीवन स्तर को मापने का पैमाना है यह भूमि उपयोग का सूचक है।[6] निम्न स्तर को आवासीय दशाओं का मानव स्वास्थ्य, भविष्य एवं मानव कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निम्न स्तरीय क्षेत्रों में संकीर्ण नगरीय जीवन बिताते हुये लोग अधिकांशतः शारीरिक रूग्णता के शिकार हो जाते हैं।[7] इन परिस्थितियों में शारीरिक मानसिक तथा भावनात्मक दृष्टि से लोग बीमारियों अपराधों तथा विभिन्न विकारों से ग्रसित होकर सोचनीय तथा समाज के लिये अभिशाप हो जाते है।[8]

नगर निवासियों हेतु आवासीय सुविधा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभिन्न आय वर्गो हेतु निवास्य गृह निर्मित किये जाने चाहिए। नगरों में जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक तीव्र गति से हो रही है जबकि उसके अनुपात में निवास हेतु भवनों का निर्माण अधिक नहीं हो रहा।

शासकीय संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जनाधिक्य के फलस्वरूप पूर्व निर्मित भवन अधिक घनत्व के कारण संकीर्ण प्रतीत होने लगे हैं। कुछ शासकीय कर्मचारियों हेतु जिला मुख्यालय में कालोनियों का निर्माण अवश्य हुआ है। औरैया विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा इस समय इस कार्य में पर्याप्त सहयोग किया जा रहा है।

जनपद मुख्यालय होने से औरैया नगर के भावी विकास की अधिक सम्भावनायें है। नगर में प्राचीन अनियोजित बस्तियां संकीर्ण बीथिकाओं से युक्त व्यतिक्रम उत्पन्न करने वाली हैं। अधिकांश बस्तियों में गंदगी का साम्राज्य है किन्तु कुछ नवीन भू क्षेत्रों में निर्मित नवीन आवासीय क्षेत्र नियोजित एवं अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ है किन्तु अभी समुचित सुविधायें वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है। नव नियोजित आवासीय क्षेत्र नगर के लिये वरदान कहे जा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में उच्चवर्गीय आवास केन्द्र हैं। कुछ क्षेत्रों में मध्यवर्गीय आवास तथा कुछ स्थान निम्न वर्गीय आवासों से युक्त हैं। श्रमिकों के लिये कोई अलग बस्तियां नहीं हैं। अनेक निम्न स्तरीय आवासों को गन्दी बस्तियों के रूप में परिवर्तित होते हुये देखा जा सकता है। अस्तु, आवासीय भवनों की संख्या में वृद्धि के साथ ही साथ प्राचीन आवासों की मरम्मत तथा भावी नियोजन अभीष्ट एवं नितान्त वांछित है।

4. सांस्कृतिक सुविधायें :-

क्रीडांगनों, पार्को की दशा, तरण ताल, नाट्यगृह, छवि गृहों की आवश्यकता, शिक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत आदि संसाधनों का सम्यक नियोजन, सौन्दर्यीकरण, वायु शोधन हेतु उद्यानों का आधुनिक ढंग से विकास एवं सघन वृक्षारोपण (कृषि हरित पेटी) के रूप में बाल भवन, तरणताल, नदी नौकायन, व्यायाम शाला, सुन्दर सुविधा सम्पन्न, होटल आदिकी आवश्यकता, धार्मिक पूजा स्थलों, पुस्तकालयों, धर्मोपदेश केन्द्रों, सभागारों आदि की व्यवस्था सांस्कृतिक प्रकार्यो हेतु वांछित है।

10.4 नगरों के विकास हेतु सुझाव –

नगर के जीवन को सुविधापूर्ण एवं आसान बनाने के लिये विभिन्न कार्य समन्वित रूप से आवश्यक है। प्रत्येक नगर नीति निर्धारक अधिकांशतः जिन क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देते हैं। उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मैं जनपद के नगरों के विकास हेतु निम्नांकित सुझाव दे रही हूँ –

- सार्वजनिक स्कूलों, स्थलों एवं भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था।
- सार्वजनिक सड़कों, स्थलों एवं नालियों की सफाई।
- जल निकास, मलमूत्र, कूड़ा कचरा तथा अन्य गन्दगियों का निस्तारण।
- सुरक्षा अग्निशमन, तथा जान माल की रक्षा का प्रबन्ध।
- खतरनाक व्यापारों पर नियन्त्रण तस्करी, चोर बाजारी, मिलावट, कृत्रिम अभाव पर नियंत्रण।
- सड़क, पुलिया, बाजार, नालियों, कुओं तथा बांधों का निर्माण।
- जलदाय व्यवस्था, सामुदायिक नलों की व्यवस्था।
- अकाल तथा अभाव के समय राहत व्यवस्था।
- जन साधारण हेतु पार्क, बगीचा, पुस्तकालय, अलायबघर, संग्रहालय, वाचनालय, बंदी सुधार गृहों आदि का प्रबन्ध।
- कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण के लिये ऋण सुविधा।
- मलमूत्र फार्म की व्यवस्था।
- जनगणना करवाना।
- जनसाधारण के लिये संगीत नाटकों आदि की व्यवस्था।
- जन स्वास्थ्य विकास के उपाय।
- मातृ–शिशु कल्याण कार्य।
- मानव कल्याण कार्यो हेतु अनुदान (दलितों, विकलांगों, असहायों की सहायता)
- मेलों व प्रदर्शनियों की व्यवस्था।
- रोगी वाहन (अम्बूलेन्स) की व्यवस्था।

- सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।
- बाल पुस्तकालय एवं वाचनालयों की व्यवस्था।
- अन्य आय वाले व्यक्तियों व बेरोजगारों को उचित एवं सस्ते किराये पर दुकानों का आबंटन।
- पिछड़ी बस्तियों में स्कूल मरम्मत, निर्माण प्रकाश, सफाई व्यवस्था।
- कृषि शिक्षा केन्द्र की स्थापना आदि।

Reference/सन्दर्भ

1.	Singh, H.,	Kanpur : A Study in Urban Geography, Indra Sharma Prakashan, Varanasi, 1972, p. 93
2.	Singh, R.L.,	Varanasi : A Study in Urban Geography, Nand Kishore and Brother, Varanasi, 1955, p.37
3.	Singh, U.,	Allahabad : A Study in Its Planning and Development, National Geographical Journal of India, Vol. 7, 1961, p. 19
4.	Alam, S. M.,	Hyderabad-Sikandarabad (Twin Cities) : A Study in Urban Geography, 1965, p. 126.
5.	Dikinson, R.E.,	City Region and Regionalism Mathew, London, 1983.
6.	Karl, M.,	Capital, Vol. 1, 1964, p. 372.
7.	शर्मा रामनाथ,	भारत में नगरीय समाज शास्त्र राजहंस प्रकाशन, मंदिर रामनगर, उत्तर प्रदेश, पृ0 92
8.	राम उदय नारायन,	प्राचीन भारत में नगर तथा नगरीय जीवन हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 1999, पृ0 103.